मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/ 1242 भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर 2019

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

विषयः–ई–अनुज्ञा पोर्टल का सुचारु कियान्वयन कराये जाने संबंधी।

–0–

दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रदेश की समस्त 257 मण्डी समितियों में एक साथ "ई–अनुज्ञा" कियान्वयन आरम्भ किया गया है, जिसमें शतप्रतिशत ई–अनुज्ञा जारी किये जा रहे हैं। "ई–अनुज्ञा" आरम्भ हुये लगभग डेढ़ माह का समय व्यतीत हो चूका है।

दिनांक 16/08/2019 से 30/09/2019 तक "ई–अनुज्ञा" कियान्वयन की अवधि में प्रदेश के विभिन्न अंचलों की मण्डी समितियों से व्यापारी पंजीकरण, मण्डी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क राशि, भुगतान पत्रक, पाक्षिकी निरस्तीकरण, अनुज्ञा, सचिव मोबाईल नंबर संशोधन, अनुज्ञा में थर्ड पार्टी संशोधन, बैंक ऐड करना, पाक्षिकी स्टॉक संशोधन, भुगतान पत्रक में गलत फर्म का सत्यापन, बिलों के आधार पर विकय की एकजाई प्रविष्टि का निरस्तीकरण, व्यापारी पासवर्ड रिसेट, आई.डी. पासवर्ड लॉक होने, फसल संशोधन, रसीद निरस्तीकरण, प्रारुप–10 निरस्तीकरण संबंधी अभ्यावेदन एवं सूचनायें ई–मेल से प्राप्त हुई थी उन सभी के समाधान/निवारण की कार्यवाही पूर्ण की जाकर अंचलवार स्थिति संलग्न कर प्रेषित है।

"ई–अनुज्ञा" कियान्वयन अंतर्गत आप नोडल अधिकारी है एवं अंचल की मण्डी समितियों के सचिव उपनोडल अधिकारी नियुक्त हैं। अतः उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये प्रत्येक आंचलिक स्तर पर निम्नानुसार एक "संभागीय ई–अनुज्ञा समीक्षा टीम" गठित जाये :–

क्रमांक	"संभागीय ई–अनुज्ञा समीक्षा टीम"	नामित संख्या
1.	अंचल कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक अथवा समकक्ष।	1
2.	मण्डी सचिव	1
3.	अंचल के वरिष्ठ अंकेक्षक अथवा कनिष्ठ अंकेक्षक	1
4.	अंचल के ई–अनुज्ञा मॉस्टर ट्रेनर	1
5.	मण्डी के ई–अनुज्ञा कार्य में लगे उपयुक्त सहायक उपनिरीक्षक	1

संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय इस समिति के अध्यक्ष होंगे, उनकी अनुमति यथा अनुमोदन से समिति की बैठक निर्धारित तिथी/समय/स्थान पर आहूत की जावेगी एवं अंचल की मण्डियों के निरीक्षण कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार कर अंतिम रुप दिया जावेगा।

यह ''संभागीय ई–अनुज्ञा समीक्षा टीम'' अपने अपने अंचलों की समस्त मण्डी समितियों में ''ई–अनुज्ञा'' क्रियान्वयन के सभी पहलुओं पर संबंधित मण्डी सचिव (उप नोडल अधिकारी) की उपस्थिति में ई–अनुज्ञा पोर्टल पर संधारित समस्त प्रक्रियाओं एवं जानकारियों का सुक्ष्मता से निरीक्षण कर जांच की कार्यवाही पूर्ण करेंगी एवं अपनी बिन्दुवार ''स्टेटस रिपोर्ट मय फीडबैक'' के तैयार कर अपने संयुक्त/उप संचालक आंचलिक कार्यालय को प्रस्तुत करेंगी। यह कार्यवाही मण्डी समितियों में जिलेवार तरीके से पूर्ण की जावेगी। निरीक्षण किये जाने पर किसी प्रकार की न्यूनता अथवा निर्देश संबंधी कार्यवाही में जानकारी बावत आवश्यकता होने पर संयुक्त/उप संचालक आंचलिक कार्यालय (अध्यक्ष) से सम्पर्क कर निराकरण करवाये जाने का प्रतिवेदन में तदनुसार उल्लेख करेंगी।

यदि संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय किसी मण्डी समिति के मामले में ''संभागीय ई–अनुज्ञा समीक्षा टीम'' की कार्यवाही से सहमत नहीं होते हैं तो वे स्वयं पुनः उस मण्डी समिति में निरीक्षण कर जांच की कार्यवाही कर सकेंगे।

संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय निर्धारित समय सीमा में अंचल की मण्डी समितियों में निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण कराकर सम्पूर्ण स्थिति पर अपना मण्डीवार स्पष्ट अभिमत/प्रतिवेदन माह अक्टूबर 2019 में मण्डी बोर्ड मुख्यालय में सम्पन्न होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में अनिवार्य रुप से चर्चा करने के लिये साथ लेकर आवेंगे। निरीक्षण दल को गठित सदस्य के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय द्वारा अतिरिक्त अमला उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(डॉ. केदार सिंह)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/1243 भोपाल दिनांक 04 अक्टूबर 2019

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय के, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) संयुक्त संचालक (नियमन/ई–अनुज्ञा)/सहायक संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल